अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था

अलाउद्दीन ने केन्द्र पर एक बड़ी सेना रखी और उसे नकद वेतन दिया। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार "यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना पाँच या छः वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की। परन्तु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित कीं और उनकी दरें कम कर दीं।" सुल्तान के खजाने में धन की कमी न थी। परन्तु देवगिरि से लूटकर लायी हुई सम्पूर्ण सम्पत्ति, दक्षिणी भारत के राज्यों से निरन्तर प्राप्त होने वाला कर और शराब पीने के सोने-चाँदी के बर्तनों को छोड़कर सिक्के बनाने से भी अलाउद्दीन की बड़ी सेना के व्यय के भार को शाही खजाना नहीं उठा सकता था। लगान को पैदावार का $\frac{1}{2}$ भाग कर देने तथा अन्य करों में वृद्धि कर देने से भी सेना के व्यय की समस्या का हल नहीं निकल सका था। इसके विपरीत आरम्भ में सुल्तान द्वारा मुक्त-हृदय से नागरिकों में धन के वितरण और इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को वेतन देने से मुद्रा के मूल्य में कमी हो गयी थी। इस कारण **सैनिकों के वेतन और वस्तुओं के मूल्य में कमी करना आवश्यक था**। डॉ. के. एस. लाल ने लिखा है कि "यह गणित की एक साधारण गणना और एक साधारण आर्थिक सिद्धान्त था। क्योंकि उसने सैनिकों के वेतन को कम करने का निर्णय किया था, अतएव उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य को भी कम करने का निश्चय किया।"[1] डॉ. यू. एन. डे ने इस सम्बन्ध में एक अन्य विचार प्रकट किया है। उनके अनुसार **अलाउद्दीन की बाजार-व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकना था**। वह लिखते हैं "जबकि अलाउद्दीन ने अपने एक सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष दिया था, मुगल बादशाह अकबर ने अपने तबिनन (सैनिक) को 240 रु. प्रति वर्ष और शाहजहाँ ने अपने सैनिक को 200 रु. प्रति वर्ष दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को अकबर के सैनिक से प्रति वर्ष 6 रु. कम और शाहजहाँ के सैनिक से 34 रु. प्रति वर्ष अधिक दिया। इस प्रकार 14वीं सदी के आरम्भ में अलाउद्दीन द्वारा अपने सैनिकों को दिया गया वेतन कम न था। इसी सम्बन्ध में वह एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। क्या अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य से कम निश्चित किये थे ? उनके अनुसार ऐसा नहीं था। वह लिखते हैं कि "अलाउद्दीन के समय में वस्तुओं के मूल्य प्रायः वही थे जो हमें बाद में फीरोजशाह तुगलक के समय में प्राप्त होते हैं। बरनी का कथन भी इस बात का समर्थन करता है। बरनी के कथनानुसार "किसान दिल्ली की मण्डी में अपनी वस्तुओं को लेकर सरकारी मूल्यों पर बेचने के लिए आते थे।" वह यह भी लिखता है कि "सुल्तान स्वयं प्रत्येक वस्तु के उत्पादन-मूल्य के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निश्चित करता था।" डॉ. डे लिखते हैं, "इस कारण, निस्सन्देह, किसानों और व्यापारियों को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता

Scanned with CamScanner

था।" जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जब अलाउद्दीन का आशय वस्तुओं के मूल्य को सामान्यतया प्रचलित मूल्य से कम करने का नहीं था तो फिर बाजार-नियन्त्रण करने और उसे कठोरता से लागू करने की क्या आवश्यकता थी ? वह लिखते हैं कि "इस समय दिल्ली एक बड़े साम्राज्य की राजधानी होने के कारण व्यापार और आवागमन का केन्द्र बन गयी थी, उसकी जनसंख्या में बहुत वृद्धि की गयी थी और अलाउद्दीन की बड़ी सेना भी वहीं रहती थी। इसके अतिरिक्त सैनिकों को नकद वेतन दिये गये तथा अन्य कारणों से मुद्रा का प्रसार भी दिल्ली में अधिक था। इस प्रकार जनसंख्या और मुद्रा में विस्तार हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना स्वाभाविक था और व्यापारी-वर्ग द्वारा संग्रह करने तथा चोर बाजारी करने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में अधिक से अधिक वृद्धि हो जाने की सम्भावना थी। अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्यों में इन कारणों से उत्पन्न होने वाली वृद्धि को रोकना था।" वह लिखते हैं कि "अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी-वर्ग द्वारा चालबाजी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि उनके सामान्यतया प्रचलित मूल्यों में कमी करना।"[1] डॉ. डे का यह विचार तर्कपूर्ण और मान्यनीय है। परन्तु इससे इस बात का महत्व कम नहीं हो जाता कि अलाउद्दीन ने केन्द्र पर एक बड़ी सेना रखी और उसे नकद वेतन देना आरम्भ कर दिया, इस कारण उसे बाजार-नियन्त्रण की आवश्यकता हुई।

आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ ने यह विचार भी प्रकट किया है कि बाजार-नियन्त्रण और उसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य जनहित था। वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएँ उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था। इसी कारण उसने यह कार्य किया था। उनके इस विचार का आधार शेख नासिरुद्दीन द्वारा लिखे गये ग्रन्थ 'खाश्रुल-मजालिस' में शेख हमीदुद्दीन का एक संवाद है जिसमें अलाउद्दीन की अपनी प्रजा की भलाई की भावना की प्रशंसा की गयी है। अमीर खुसरव द्वारा रचित 'खजाइन-उल-फुतूह' में भी अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की गयी है। परन्तु उपर्युक्त आधारों को अधिक प्रमाणित नहीं माना जा सकता और न वे यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ही हैं कि अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई था। इसके विपरीत, जिस कठोरता से इस बाजार-व्यवस्था को लागू किया गया और जिस प्रकार जन-साधारण पर इसका प्रभाव पड़ा उससे तो यही स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को लागू करने में किसी विशेष आर्थिक सिद्धान्त अथवा प्रजा की भलाई का ध्यान नहीं रखा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार-नियन्त्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को एक निश्चित और नकद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकना उसका मुख्य उद्देश्य था तथा बाजार-नियन्त्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन।

अलाउद्दीन ने प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया। सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा, गुलाम अथवा घोड़े ही नहीं वरन् सब्जी, मेवा, माँस, मछली, गन्ना, सुई, कंघा, ...

Scanned with CamScanner

कंघा आदि जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किये गये। उदाहरणार्थ, कुछ वस्तुओं के मूल्य निम्न प्रकार निश्चित किये गये थे—

गेहूँ	$7\frac{1}{2}$ जीतल प्रति मन
जौ	4 ,, ,, ,,
चावल और चना	5 ,, ,, ,,
घोड़ा (उत्तम)	100-120 टंका
गाय (उत्तम)	10-12 टंका
दासी (सामान्यतः सुन्दरी)	20-40 टंका
दास	20-30 टंका

जबकि उस समय का मन प्रायः 10-12 किलो के निकट होता था और चाँदी का एक टंका 46-48 जीतल के मूल्य का होता था।

प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक्-पृथक् बाजार निश्चित किये गये। गल्ले के लिए मण्डी, कपड़े के लिए सराय-ए-आदिल, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए एक पृथक् बाजार तथा दैनिक जीवन के उपभोग की बाकी वस्तुओं के लिए एक अन्य बाजार निश्चित किया गया। **कठिनाई के अवसरों पर सुरक्षा के लिए सरकारी गोदामों में सभी आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करने की व्यवस्था की गयी थी और ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं के खरीदने की सीमा निश्चित की जाती थी।** कोई भी वस्तु अप्राप्य न हो जाय इसके लिए भी प्रबन्ध किया गया था। **खालसा-भूमि (सुल्तान की भूमि) तथा जहाँ तक भी सम्भव था अधीन सामन्तों की भूमि से भी गल्ले के रूप में लगान वसूल किया गया। सरकार में रजिस्टर्ड व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने की आज्ञा थी। सभी व्यापारियों को 'शहानेमण्डी' के दफ्तर में अपने को पंजीकृत (Registered) कराना पड़ता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था थी परन्तु उन्हें बाजार में एक निश्चित मूल्य पर कपड़ा बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएँ लाने के लिए भी बाध्य किया जाता था जिससे कि किसी वस्तु की कमी न हो।** सुल्तान द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर ही वे वस्तुएँ बेची जायें और तोल में भी ठीक हों, इसके लिए बड़ी कठोरता की जाती थी। वस्तुएँ केवल निश्चित मूल्य पर ही बेची जा सकती थीं, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी सुल्तान की आज्ञा के बिना मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। कम तोलने वाले के शरीर से उतनी ही मात्रा में माँस काट लिया जाता था। कोई भी व्यक्ति (व्यापारी या किसान) किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। दोआब के पदाधिकारियों को यह लिखकर देना पड़ता था कि वे किसी भी किसान को अनाज संग्रह नहीं करने देंगे। सट्टे-बाजी और चोर-बाजारी पूर्णतया समाप्त कर दी गयी थी। **किसी भी कानून को भंग करने वाले व्यक्ति को कठोरतम दण्ड दिया जाता था।** इन **कार्यों की देखभाल के लिए 'दीवाने-रियासत' और 'शहानेमण्डी' तथा न्याय के लिए 'सराल-अदूल' नाम के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी।** मलिक-कबूल को अलाउद्दीन ने खाद्यान्न तथा अन्न बाजार का शहाने मण्डी नियुक्त किया था और मलिक याकूब को 'दीवान-ए-रियासत' नियुक्त किया। 'सराल-अदूल' नामक बाजार में एक टंके से लेकर

Scanned with CamScanner

10,000 टंके मूल्य की वस्तुएँ बिकने के लिए आती थीं। इनके अतिरिक्त 'बरीद-ए-मण्डी' 'मुनहीयान्स' आदि अनेक पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी थी। इन सभी अधिकारियों को दण्ड देने के विस्तृत अधिकार थे। वे सभी सुल्तान से आतंकित थे और उन्होंने सभी व्यापारियों को आतंकित कर रखा था जिसके कारण सुल्तान के नियमों का अक्षरशः पालन किया गया था। **राज्य के बड़े-बड़े सरदार और धनवान व्यक्ति भी इन कानूनों को नहीं तोड़ सकते थे। यदि उनमें से कोई किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदना चाहता था तो उसे 'दीवाने-रियासत' अथवा 'शहाने-मण्डी' से आज्ञा लेनी पड़ती थी।**

अलाउद्दीन का अन्तिम अधिनियम 'परवाना नवीस' नामक अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से सम्बन्धित था। जिसका कार्य तस्बीहस तवरेज, कंजमावरी, सुनहरी जरी, देवगिरि रेशम, खुज्जे दिल्ली एवं कमरवाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परवाना नवीस जारी करना था।

अलाउद्दीन की यह बाजार-व्यवस्था दिल्ली में ही लागू की गयी थी अथवा राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू की गयी ? इतिहासकार फरिश्ता ने मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे, वही राज्य के अन्य भागों में भी थे जो यह संकेत देता है कि अलाउद्दीन की बाजार-व्यवस्था सम्पूर्ण साम्राज्य में लागू की गयी थी। मोरलैण्ड के अनुसार भाव-नियन्त्रण के लिए दिल्ली को शेष साम्राज्य से पृथक् कर दिया गया था। उसके अनुसार 'सम्पूर्ण देश में भाव घटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यह प्रयास केवल दिल्ली तक ही सीमित रखा गया जहाँ सेना केन्द्रित थी।' यह लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे, वही राज्य के अन्य भागों में भी थे। परन्तु स्वयं बरनी, जो खलजी-वंश के इतिहास को जानने का एकमात्र मूल आधार है, ऐसी कोई स्पष्ट बात नहीं कहता बल्कि समय-समय पर उसी के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि **अलाउद्दीन की यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक ही सीमित थी।** बरनी ने केवल दिल्ली और आसपास के बाजारों की चर्चा की है। राज्य के अन्नागारों से खाद्यान्नों के वितरण का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है, सुल्तान की नीति और नियमों से 'दिल्ली में अनेक वस्तुएँ सस्ती हो गयी थीं और वर्षों तक चलती रहीं।' उसने यह भी लिखा कि वस्तुओं के सस्ती होने और उनके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गये। साम्राज्य के अन्य शहरों के बारे में बरनी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इस कारण, उसके इन विवरणों से यह आभास होता है कि अलाउद्दीन की बाजार-व्यवस्था दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परन्तु आधुनिक इतिहासकारों में से डॉ. बनारसीप्रसाद सक्सेना इस विचार से सहमत नहीं हैं। वह लिखते हैं कि यह धारणा इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि दिल्ली में ही मूल्यों की कमी सेना के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती थी। सेना तो साम्राज्य के सभी भागों में रहती थी। इस कारण केवल दिल्ली में मूल्य-नियन्त्रण किये जाने से उसकी सहायता कैसे हो सकती थी ? परन्तु अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य दिल्ली में स्थित केन्द्रीय-सेना को ही उचित मूल्यों पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने तक सीमित था। दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्रों में मूल्यों के नियंत्रण किये जाने से उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गयी थी। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण साम्राज्य में उसकी बाजार-व्यवस्था को लागू किया जाना सम्भव भी नहीं था। इस कारण, **अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसी मत को स्वीकार करते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार-व्यवस्था दिल्ली और उसके निकट के क्षेत्रों तक ही सीमित थी।**

Scanned with CamScanner